

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक - 8/ज०स० (नि०) सु०परि०-7-14/2015

राँची, दिनांक-

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विरेन्द्र चन्द्र दास, सेवानिवृत्त, कार्यपालक अभियंता, जब वे खरकई बाँध प्रमण्डल सं०-2 ईचा चालियामा के पद पर पदस्थपित थे, ने घोर अनियमितता, कदाचार अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री विरेन्द्र चन्द्र दास, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही चलाई जाय।

2. श्री विरेन्द्र चन्द्र दास, तत्० कार्यपालक अभियंता, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से० (सेवानिवृत्त), विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से०(सेवा निवृत्त) टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची/श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियंता योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची/श्री विरेन्द्र चन्द्र दास, तत्० कार्यपालक अभियंता, प्लैट न०- सी०/02, सरस्वती ब्लॉक सिरोमनगर, डिमना रोड़ मानगों जमशेदपुर-831018 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-

राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- अनुबंध की प्रति के साथ श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से०(सेवा निवृत्त) विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची/ श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियंता

योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची/ श्री विरेन्द्र चन्द्र दास, तत्० कार्यपालक अभियंता, फ्लैट न०-सी०/०२, सरस्वती ब्लॉक सिरोमनगर, डिमना रोड़ मानगों जमशेदपुर-८३१०१८ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

३. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

४. आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०-यथोक्त।

ज्ञापांक- २५४२
राँची/दिनांक ०९.०५.१६

प्रतिलिपि :-प्रशासक सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


९-५-१६
सरकार के संयुक्त सचिव